

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक:-प.2(6358)/डीओआईटी/संस्था/14/II/23557/2014

जयपुर, दिनांक 18/09/2014

कार्यालय आदेश

राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के निम्नलिखित सूचना सहायकों को जिन्होंने अपने पद पर दो वर्ष की परीवीक्षाधीन अवधि निरन्तर संतोषजनक पूर्ण कर ली है को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम सं. 6 में उल्लेखित दिनांक से पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के नियम 22 एवं शिड्यूल के v के क्रम में वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.14(1) एफ.डी.(नियम) 2013-11 दिनांक 28.06.2013 के अनुसार सूचना सहायक पद की वेतन श्रृंखला (पी.बी.-1) 5200-20200 (ग्रेड पे नं. 10) ग्रेड पे-2800 में मूल देय वेतन 11170/- (वेतन 8370 + ग्रेड पे.2800) एवं नियमानुसार अन्य भत्ते आहरित/वितरित करने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रम सं.	सूचना सहायक का नाम	वर्तमान पदस्थापित विभाग	प्रथम कार्यग्रहण दिनांक	परीवीक्षाधीन अवधि (दो वर्ष) पूर्ण होने की दिनांक	निर्धारित वेतनमान में उक्तानुसार निर्धारित वेतन के आधार पर वेतन आहरण किये जाने की दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	श्री चेतन प्रकाश शर्मा	मुख्यमंत्री कार्यालय (निवास), जयपुर।	16.07.2012	15.07.2014	16.07.2014
2.	श्री ओम प्रकाश मीना	कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, कर संग्रह केन्द्र रतनपुर, जिला- डूंगरपुर (राज.)	09.07.2012	08.07.2014	09.07.2014
3.	श्री अजय कुमार	कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, हनुमानगढ़।	12.07.2012	11.07.2014	12.07.2014
4.	श्री अमराराम	कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, नागौर।	16.07.2012	15.07.2014	16.07.2014

उपरोक्त सूचना सहायकों का उक्तानुसार वेतन निर्धारण एवं सेवा पुस्तिका में तत्सम्बन्धी इन्द्राज संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा किया जावेगा। नियमितिकरण के आदेश एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

उक्त सूचना सहायकों की आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2015 रहेगी।

आज्ञा से,

—sd—
(ए.एम.देशपाण्डे)

तकनीकी निदेशक एवं सयुक्त सचिव

क्रमांक:-प.2(63581)/डीओआईटी/संस्था/14/

जयपुर, दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
2. संबंधित कर्मचारी।
3. प्रभारी अधिकारी,(वेबसाइट) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
4. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


कार्यालयाध्यक्ष